न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 490/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
उगराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी ग्राम धनाऊ, तहसील चौहटन जिला बाडमेर		1– गोमाराम पुत्र कुशला उर्फ कोशला जाति जाट निवासी ग्राम धनाऊ तहसील चौहटन, जिला बाडमेर 2– सरपंच ग्राम पंचायत धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाडमेर 3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौहटन जिला बाडमेर 4– शाखा प्रबंधक, टी.पी.जी.बी. धनाऊ तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18–7–2014 जो राजस्व अपील संख्या 2/2013 अनवान गोमाराम बनाम सरपंच वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2– श्री महेश मेहता अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 08–11–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धनाऊ के खसरा नंबर 494 रकबा 132.12 बीघा, खसरा नंबर 492 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 493 रकबा 0.17 बीघा कुल 133.16 बीघा भूमि का खातेदार कुशला वल्द खूमा कौम जाट सा0 देह था जिसके फौत होने पर उक्त अपीलाधीन भूमि का उतराधिकार का नामांतरकरण संख्या 537 मृतक के पुत्र गोमा वल्द कोशला, वरजू बेवा कोशला एवं दो पुत्रियां संजू, अणसी पि0 कौशला जाति जाट के नाम का भरकर निरीक्षक भू अभिलेख की जांच के बाद ग्राम पंचायत के समक्ष स्वीकृति हेतु

पेश किया, जिसे ग्राम पंचायत धनाऊ के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 7–1–83 को स्वीकृत किया जिसे आर.आई. बीजासर ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित उक्त म्युटेशन को कोस कर नये सिरे से म्युटेशन संख्या 537 के पृष्टांकन पर कुशला की वंशावली बनाकर कुशला के स्थान पर कोला लिाते हुए कोला को खुमा उर्फ खेता का पुत्र बताया तथा कोला के भाई हरजी होना बताते हुए पुनः मृतक कौशला के वारिसान का 3/4 हिस्सा तथा वर्तमान अपीलांट उगराराम का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया, जिसे ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा बिना जांच किये ही दिनांक 7–1–83 को पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 गोमाराम पुत्र कुशला उर्फ कोशला ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2014 के द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 537 पर ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–93 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौहटन को सभी पक्षो को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर नोटिस की सम्यक रूप से विधि अनुसार तामिल कराये बिना ही एकतरफा आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील लगभग 30 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की थी इसलिए पहले मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक था परंतु अपीलाधीन निर्णय बिना मयाद के बिन्दु को निर्णित किये ही गुणावगुण पर पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे आर.आर.टी.2013 (2) पेज 1252

एवं आर.आर.टी. 2014–15 (सप्ली) पेज 441 की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 537 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे अपीलाधीन नामांतरकरण के सभी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मै रेस्पो0 संख्या 1 गोमाराम तो मृतक खातेदार कुशला का जायंदा पुत्र है परंतु अपीलांट उगराराम मृतक खातेदार का प्रथम श्रेणी का वारिस नही होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन मे उसका नाम तथा किस आधार दर्ज किया तथा हिस्सा किस तरह से तय किया, इसका कोई आधार नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 537 प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था, जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए ही पारित किया हुआ माना जायेगा तथा वकील रेस्पो0 ने यह भी निवेदन किया कि मृतक खातेदार कुशला के उतराधिकारियो की वंशावली मे अपीलांट के पिता हरजी कही भी नही आता है फिर भी उसका नाम फोतेदगी म्युटेशन संख्या 537 मे दर्ज कर दिये जाने पर उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे पारित निर्णय मे प्रकरण तहसीलदार चौहटन को रिमाण्ड ही तो किया है, जहां अपीलांट को भी सुनवाई का अवसर दिया गया है, तो अपीलांट तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है इसलिए अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 537 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन मूल नामांतरकरण संख्या 537 के

अवलोकन से यह प्रकट है कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का खातेदार कुशला वल्द खूमा कौम जाट सा0 देह था जिसके फौत होने पर उक्त अपीलाधीन भूमि का उतराधिकार का नामांतरकरण संख्या 537 मृतक के उतराधिकारियो पुत्र, पुत्रियां एवं बेवा के नाम सरपंच ग्राम पंचायत धनाऊ के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 7–1–83 को स्वीकृत कर दिये जाने के बाद उक्त स्वीकृतसुदा नामांतरकरण को बिना किसी आदेश के कोस कर नये सिरे से म्युटेशन संख्या 537 के पृष्टांकन पर कुशला की वंशावली बनाकर कुशला के स्थान पर कोला लिखते हुए कोला को खुमा उर्फ खेता का पुत्र बताया तथा कोला के भाई हरजी होना बताते हुए पुनः मृतक कौशला के वारिसान का 3/4 हिस्सा तथा उगराराम (वर्तमान अपीलांट) का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिनांक 7–1–83 को स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उक्त म्युटेशन को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौहटन को सभी पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया है ।

परंतु अपीलाधीन निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष 30 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील पर मयाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील का निर्णय कर दिया जो वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो के परिपेक्ष्य मे समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के नोटिस की तामिल चस्पादगी से मानी जाकर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है । हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को तहसीलदार चौहटन को रिमाण्ड किया है, जहां पर अपीलांट अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है परंतु तहसीलदार मयाद के बिन्दु पर किसी प्रकार की विवेचन देने हेतु सक्षम नही है इसलिए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन को रिमाण्ड किया जाना न्यायसंगत होगा ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2014 को निरस्त कर

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम अपीलांट एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रथम अपील मे मयाद के बिन्दु को विस्तृत विवेचन के साथ निर्णित करे तदुपरांत अपील का पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 08–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

|